इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(08).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (5) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (11) में, शब्द "नौ लाख बीस हजार" के स्थान पर, शब्द "ग्यारह लाख पचास हजार" स्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(8), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(08).—In exercise of the powers conferred by clauses (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's Notification No. (5) B-1-36-2009-2-V, dated 03rd April, 2010, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, in sub-rule (11), for the words "Nine Lakh Twenty Thousand" the words "Eleven Lakh Fifty Thousand" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(09).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (6) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल, 2010 में जहां तक कि वह बी-3 बीयर विनिर्माणी की अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित है, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियम के अधीन जारी बी-3 बीयर विनिर्माणी अनुज्ञप्ति की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपये 11,50,000/- विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(9), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(09).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in partial supersession of this Department's Notification No. (6) B-1-36-2009-2-V, dated 03rd April, 2010 as far as it relates to the licence fee of B-3 brewery the State Government, hereby, prescribes the annual licence fees of B-3 Brewery licence, issued under the Madhya Pradesh Beer and Wine rules, to be Rs. 11,50,000/-

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (10).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (7) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल, 2010 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का नाम (2)	अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	एफ.एल.-9 (बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	रुपए 8,50,000/-
2	एफ.एल./9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	रुपए 1,50,000/- (प्रत्येक फ्रेंचाईजर कंपनी के लिए)

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(10), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V(10).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in partial supersession of this department's notification No. (7) B-1-36-2009-2-V, dated 03rd April 2010, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fees specified in column (3) of the Table below for the licences specified in column (2) of the table:—

TABLE

S. No. (1)	Name of licence (2)	Licence Fee (3)
1.	F. L.-9 (Bottling Licence)	Rs. 8,50,000/-
2.	F. L. 9-A (Special Bottling Licence)	Rs. 1,50,000/- (For each Franchisee Company)

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(11).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (5), दिनांक 27 मार्च 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके (सारणी के) कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर, विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)		आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.		**देशी मदिरा** (25 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा प्लेन).	रुपये 275/- प्रति प्रूफ लीटर
2.		**असैनिक (सिविलियन) के लिये विदेशी मदिरा (स्पिरिट)** **जब प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) हो.**	**आबकारी शुल्क की दर**
	(1)	रुपये 675/- तक	रुपये 335/- प्रति प्रूफ लीटर
	(2)	रुपये 676/- से 775/- तक	रुपये 375/- प्रति प्रूफ लीटर
	(3)	रुपये 776/- से 875/- तक	रुपये 420/- प्रति प्रूफ लीटर
	(4)	रुपये 876/- से 1200/- तक	रुपये 600/- प्रति प्रूफ लीटर
	(5)	रुपये 1201/- से 1600/- तक	रुपये 675/- प्रति प्रूफ लीटर
	(6)	रुपये 1601/- से 2150/- तक	रुपये 825/- प्रति प्रूफ लीटर
	(7)	रुपये 2151/- से 3150/- तक	रुपये 935/- प्रति प्रूफ लीटर
	(8)	रुपये 3151/- से 4150/- तक	रुपये 1125/- प्रति प्रूफ लीटर
	(9)	रुपये 4151/- से 6150/- तक	रुपये 1480/- प्रति प्रूफ लीटर
	(10)	रुपये 6151/- से 8150/- तक	रुपये 1760/- प्रति प्रूफ लीटर
	(11)	रुपये 8151/- से 11000/- तक	रुपये 2300/- प्रति प्रूफ लीटर
	(12)	रुपये 11001/- से अधिक	रुपये 2900/- प्रति प्रूफ लीटर
3.		**असैनिक (सिविलियन) के लिये विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर**	
	(क)	ड्राट बीयर	रुपये 70/- प्रति बल्क लीटर
	(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 135 प्रतिशत.
	(ग)	लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस (पिये जाने के लिये तैयार) जिसमें 10 प्रतिशत तक एल्कोहल हो.	रुपये 100/- प्रति बल्क लीटर
4.		**मद्य (वाईन)**	
	(क)	मद्य (वाईन)	रुपये 105/- प्रति बल्क लीटर
	(ख)	मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से तथा मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित मद्य (वाईन)	शून्य

(1)		(2)	(3)
5.		**भांग**	
	(क)	निष्पादित की गई भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए	रुपये 100/- प्रति किलोग्राम
	(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों/संस्थाओं के लिए.	रुपये 200/- प्रति किलोग्राम

6. रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क सिविलियन्स द्वारा, रम के लिये दी जाने वाली ड्यूटी के 20 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा [व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिये दी जाने वाली ड्यूटी के 30 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी.

स्पष्टीकरण-1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक के रूप में अन्तर्विष्ट है.

स्पष्टीकरण-2 माल्ट मदिरा में बीयर, स्टाउट, एल. पोर्टर, साईडर आदि सम्मिलित है.

स्पष्टीकरण-3 "रक्षा सेवा कार्मिक" से अभिप्रेत है, ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(11), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-01-2017-2-V (5), dated 27th March, 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the excise duties so far as they relate to the excisable articles specified in column (2) of the Table

below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof with effect from 1st April, 2018 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely :—

TABLE

S. No. (1)		Description of Excisable Articles (2)	Rate of excise duty (3)
1.		**Country Spirit** (25 degree under proof Spiced Country Spirit and 50 degree under proof Plain Country Spirit).	Rs. 275/- per proof litre
2.		**Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is,**	**Rate of excise duty**
	(1)	Upto Rs. 675/-	Rs. 335/- per proof litre.
	(2)	Rs. 676/- and upto Rs. 775/-	Rs. 375/- per proof litre.
	(3)	Rs. 776/- and upto Rs. 875/-	Rs. 420/- per proof litre.
	(4)	Rs. 876/- and upto Rs. 1200/-	Rs. 600/- per proof litre.
	(5)	Rs. 1201/- and upto Rs. 1600/-	Rs. 675/- per proof litre.
	(6)	Rs. 1601/- and upto Rs. 2150/-	Rs. 825/- per proof litre.
	(7)	Rs. 2151/- and upto Rs. 3150/-	Rs. 935/- per proof litre.
	(8)	Rs. 3151/- and upto Rs. 4150/-	Rs. 1125/- per proof litre.
	(9)	Rs. 4151/- and upto Rs. 6150/-	Rs. 1480/- per proof litre.
	(10)	Rs. 6151/- and upto Rs. 8150/-	Rs. 1760/- per proof litre.
	(11)	Rs. 8151/- and upto Rs. 11000/-	Rs. 2300/- per proof litre.
	(12)	exceeds Rs. 11001/-	Rs. 2900/- per proof litre.
3.		**Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians**	
	(a)	Draught Beer	Rs. 70/- per bulk litre
	(b)	Beer other than above clause (a)	135 percent of per case Ex-Foreign Liquor Ware house price.
	(c)	Low-Alcoholic Beverages (Ready to drink) which contains upto 10 Percent of Alcohol.	Rs. 100/- per bulk litres
4.		**Wines**	
	(a)	Wines	Rs. 105/- per bulk litre.
	(b)	Wine made from grapes produced in State of Madhya Pradesh and Manufactured in State of Madhya Pradesh.	Zero
5.		**Bhang**	
	(a)	For licensees of disposed shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 100/- per kilogram
	(b)	For Licensees/institutions other than above clause (a)	Rs. 200/- per kilogram.
6.		The Excise Duty of the Indian made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charged for (Rum) at the rate of 20 percent and for other Indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) ect.] at the rate of 30 percent of duty, payable by the Civilians.	

Explanation-(1) Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation-(2) Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Explanation-(3) "Defence services" personnel shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and the personnel of the Border Security Force and the personnel of the Indo-Tibetian Border Police and personnel of the Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorized wholesale military canteens.

7. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (12).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) एवं (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (3), दिनांक 27 मार्च, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में होटल की अवस्थिति के लिए कॉलम (3) में दर्शाई गई होटल बार (एफ एल-3) का अनुज्ञप्तियों और रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	स्थान (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 16,50,000/-
2.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र से भिन्न स्थित क्षेत्र में.	रुपए 10,00,000/-
3.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 11,00,000/-
4.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र से भिन्न स्थित क्षेत्र में.	रुपए 8,50,000/-
5.	उपरोक्त से भिन्न, किसी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में.	रुपए 8,50,000/-
6.	उपरोक्त से भिन्न.	रुपए 7,00,000/-
7.	ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैरिटेज होटल जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो.	रुपए 3,00,000/-
8.	मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/विकास निगम के स्वामित्व की इकाइयों में संचालित होटल.	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के होटल के लिए देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत.
9.	**रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) लायसेंस के लिए**	
	वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए.	रुपए 2,00,000/-
10.	**ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित श्रेणी के स्थलों पर होटल बार अनुज्ञप्ति—**	

अनुक्रमांक (1)	स्थान की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	क—श्रेणी के लिए	रुपए 3,00,000/-
2.	ख—श्रेणी के लिए	रुपए 2,50,000/-
3.	ग—श्रेणी के लिए	रुपए 2,00,000/-

नोट:—(1) होटल के एक रेस्तरां एवं रूम सर्विस के लिए उपरोक्त वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस ही देय होगी. होटल में एक से अधिक रेस्तरां होने पर, उनमें मदिरा परोसने के लिए, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त रेस्तरां के लिये (मदिरा का संग्रह एक ही स्थान पर रखते हुए) देय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि, पृथक् से अनुज्ञप्ति फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी.

(2) नवीन होटल बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-क) अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिस माह में लायसेंस स्वीकृत किया गया है, उसे पूर्ण एक माह मानकर एवं वर्ष की शेष अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(12), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(12).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's earlier Notification No. F-B-1-01-2017-2-V-(3), dated the 27th March, 2017, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F. L.-3) Licences and Resort Bar (F. L.-3-A) Licences, as shown in column (3) of the Table below for the location of hotel in the corresponding entry in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Licence fee per annum (3)
1.	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 16,50,000/-
2.	Situated in other than Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 10,00,000/-
3.	In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 11,00,000/-
4.	Situated in other than Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 8,50,000/-
5.	Other then above, in any town area of district head quarter.	Rs. 8,50,000/-
6.	Other then above.	Rs. 7,00,000/-
7.	Heritage Hotal situated in rural areas which are recognized by Tourism Department.	Rs. 3,00,000/-

(1)	(2)	(3)
8.	Hotel run in units of ownership of Madhya Pradesh Tourism Department / Development Corporation.	As per location, for the private sector Hotel, 50% of the payable licence fee.
9.	**For Resort Bar (F. L.-3-A) Licences**	
	Forest Safari area Schedule by the Commercial Tax Department as per recommended of the Tourism Department.	Rs. 2,00,000/-
10.	**Hotel, bar license at Category of Place identified under eco-adventure tourism—**	

S. No. (1)	Place (2)	Lincence fee per annum (3)
1.	A-Category	Rs. 3,00,000/-
2.	B-Category	Rs. 2,50,000/-
3.	C-Category	Rs. 2,00,000/-

Note:—(1) The above mentioned licence fee shall be payable for the one Restaurant of Hotel and room service of the Hotel having more than one restaurant in Hotel, for such each additional restaurant to service liquor (Liquor stored in one place), amount equivalent to 10% of payable annual licence fee shall be chargeable separately for such each additional Restaurant.

(2) The annual licence fee for New Hotel Bar (F.L-3) and Resort Bar (F.L-3-A), the month will be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee will be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(13).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ), (छ) तथा (ज) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (3-1), दिनांक 27 मार्च, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नगर निगम वर्ग वाले शहर एवं स्थानों पर स्थित रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) के लिए उसके (सारणी के) कॉलम (3) में दर्शाये गए अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अ.क्र. (1)	रेस्तरां का स्थान (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 11,00,,000/-
2.	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 10,00,000/-
3.	अन्य नगर निगम क्षेत्र में.	रुपए 8,50,000/-
4.	उपरोक्त से भिन्न में.	रुपए 7,00,000/-

(1)	(2)	(3)
5.	वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये.	रुपए 2,00,000/-
6.	क्रूज बोट.	रुपए 1,00,000/-
7.	मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/विकास निगम के स्वामित्व की इकाइयों में संचालित रेस्तरां.	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के रेस्तरां के लिए देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत.

टीप:—नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिस माह में अनुज्ञप्ति अनुमोदित की गई है तथा उसे पूर्ण माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(13), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-0212018-02-V-(13).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier Notification No. F-B-1-01-2017-2-V-(3-1), dated the 27th March, 2017, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F. L.-2) Licences as shown in column (3) of the Table below for the category of place and city having Municipal Corporation mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place of Restaurant (2)	Licence fee per annum (3)
1.	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 11,00,000/-
2.	In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 10,00,000/-
3.	In other Municipal Corporation area.	Rs. 8,50,000/-

(1)	(2)	(3)
4.	Other then above.	Rs. 7,00,000/-
5.	Forest safari area schedule by the Commercial Tax Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 2,00,000/-
6.	Cruise Boat.	Rs. 1,00,000/-
7.	Restaurants run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Department/ Development Corporation.	As per location for the Private sector Restaurant 50% of the payable licence Fee.

Note:—The annual licence fee for the new Restaurant Bar (FL-2), the month shall be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee shall be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it shall be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) तथा (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच-(3-2), दिनांक 27 मार्च, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित अनुज्ञप्ति के स्थान, सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) एवं वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) के लिए उसके कॉलम (4) में दर्शाये गये अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	अनुज्ञप्ति का स्थान (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1.	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4)लायसेंस		रुपये 1,50,000/-
2.	व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) लायसेंस.	नगर निगम वाले जिलों में स्थित क्लब.	रुपये 11,00,000/-
		उपरोक्त से भिन्न अन्य जिलों में स्थित क्लब.	रुपये 5,50,000/-

टीप:—नवीन क्लब बार (एफ.एल.-4/एफ.एल.-4-क), अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस जिस माह में अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है, उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीनीकरण की दशा में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(14), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(14).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (g) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier notification No. F-B-1-01-2017-2-V-(3-2), dated the 27th March, 2017, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Civilian Club Bar (F. L.-4) and Commercial Club Bar (F. L.-4-A) Licences as shown in column (4) of the Table below for the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Place of the licence (3)	Licence fee per annum (4)
1.	Civilian Club Bar (F. L.-4) Licence		Rs. 1,50,000/-
2.	Commercial Club Bar (F. L.-4-A) Licence	Club situated at district having Municipal Corporation	Rs. 11,00,000/-
		Club situated in a district other than above mentioned.	Rs. 5,50,000/-

Note:—(1) The annual licence fee for the new Club Bar (FL-4/FL-4-A), the month shall be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee shall be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it shall be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(15).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि रुल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन किए बिना तत्काल किए जाएं;

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खण्ड (ङ), (च) तथा (ज) एवं उप-धारा (3) के परंतुक के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2012-पांच-(12), दिनांक 27 मार्च, 2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ बी-1-1-2017-2-पांच

(31), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक (14)-पांच-पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी, 1960 में प्रकाशित रुल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

1. दुकानों की स्थिति—

(क) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 20,000 से अधिक है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी.

(ख) जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 या उससे कम है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी.

(ग) राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से मदिरा बिक्री की दुकान दृश्यमान नहीं होगी.

(घ) राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा की उपलब्धता इंगित करने वाला साईन बोर्ड या विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा.

(ङ) मदिरा बिक्री की दुकान, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंच योग्य नहीं होगी :

परन्तु, उप-नियम (1) के उपबंध किसी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग में स्थापित/अवस्थित मदिरा दुकान पर लागू नहीं होंगे.

(2) किसी वैध धार्मिक संस्था, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज एवं वैध गर्ल्स हॉस्टल से 50 मीटर की दूरी तक मदिरा बिक्री की कोई दुकान अवस्थित नहीं होगी.

(3) किसी फुटकर मदिरा दुकान को परिसर में मदिरा का उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति देते समय निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाएगा, यदि दुकान—

(क) किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान, जहां श्रमिकों का विशाल समूह नियोजित हो, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को, ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनकी आपत्तियों को कथित करने का अवसर दिया गया है.

(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, वैध गर्ल्स होस्टल, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी, किसी श्रमिक कालोनी या किसी बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो.

(4) यदि ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के पश्चात्, किसी भी समय उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई संस्था (शैक्षणिक या धार्मिक), वैध गर्ल्स होस्टल, अस्पताल या बस स्टेण्ड आदि, उस दुकान से पचास मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं तो परिसर में उपभोग के लिए अनुज्ञप्त कोई मदिरा दुकान, उप-नियम (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी:

परन्तु, उप-नियम (3) के खण्ड (क) और (ख) के उपबंध गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स होस्टल एवं धार्मिक संस्थाओं से 50 मीटर या उससे कम दूरी पर स्थित मदिरा बिक्री की दुकानों को छोड़कर ऐसी मदिरा बिक्री की दुकानों पर लागू नहीं होंगे, जो तारीख 31 मार्च, 2007 से वर्तमान स्थान पर विद्यमान रही हो.

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "**शैक्षणिक संस्था**" से अभिप्रेत है, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यताप्राप्त कोई पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या सेकण्डरी स्कूल और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय किन्तु, इसमें कोचिंग संस्था सम्मिलित नहीं है.

(ख) "**धार्मिक संस्था**" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए हो और उसमें सम्मिलित है ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरिजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, जिनका मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें.

(ग) उप-नियम (2) एवं उपनियम (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जाएगा जिससे कोई पदाति (पिडेसट्रिअन),—

(एक) संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक यदि कोई अहाता दीवार है और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक, या

(दो) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेण्ड, स्टेशन या डिपो के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक यदि कोई अहाता दीवार है और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो, ऐसे बस स्टैण्ड, स्टेशन या डिपो की सीमा के निकटतम बिन्दु तक साधारणतः पहुंचता है.

(घ) "**बस स्टेण्ड**" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम या नगरपालिक निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का बस स्टेण्ड.

(ङ) "**अस्पताल**" से अभिप्रेत है, राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्त (चेरिटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचर्या गृह जहां 10 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिए कम से कम 10 बिस्तरों की सुविधाएं उपलब्ध हों.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(15), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-V-(15).—Whereas, the State Government considers it necessary that the following amendments in the Rule of General Application should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2), and proviso of sub-section (3) of Section 62, read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-01-2017-02-V-(12), dated 27th March, 2017 and Notification No. F-B-1-1-2017-2-V(31), dated 13th October, 2017, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of General Application published under Notification No. (14) V-SR, dated 7th January, 1960, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 1, the following rule shall be substituted, namely:—

1. Location of shops,—

(1) (a) In the areas with a population of more than 20,000 no shop for the sale of liquor shall be situated within a distance of 500 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway.

(b) In the areas with a population of 20,000 or less no shop for the sale of liquor shall be situated within a distance of 220 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway.

(c) No shop for the sale of liquor shall be visible from a national or state highway.

(d) All signages and advertisements of the availability of the liquor shall be prohibited on national and state highway.

(e) No shop for the sale of liquor shall be directly accessible from a national or state highway:

Provided that, the provisions of sub-rule (1) shall not be applicable to a liquior shop situated/located in section/part of any national highway or any state highway within the limits of any Urban body (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat).

(2) Any shop for the sale of liquor shall not be situated upto a distance of 50 metres from lawful religious institution, girls school, girls college and lawful girls hostel.

(3) While granting licence to a retail shop for the consumption of liquor on the premises, the following conditions shall be considered, if the shop is:—

(a) Situated near the mill, factory or other place where a large number of labourers are employed, the mill owner or employer of such labourers an opportunity of stating their objections to the proposal for opening of such shop has been given.

(b) Situated near a religious or any educational institution, lawful girls hostel, hospital, colony of members of Scheduled Castes, labour colony, bus stand, or railway station, when such shop is situated at a distance more than 50 meters from such places.

(4) Any liquor shop licensed for consumption in the premises shall not be deemed to be situated within prohibited distance referred to in clause (b) of sub-rule (3), if at any time after such licence is granted, any institution (educational or religious), Lawful girls hostel, hospital, or bus stand etc. referred to in clause (b) of sub-rule (3) comes into existence within a distance of fifty meters or less from that shop:

Provided that the provisions of clause (a) and clause (b) of sub-rule (3) shall not applicable to shops for the sale of liquor which are existing at the present site since 31st March, 2007, except those shops for the sale of liquor which are situated at a distance of 50 meters or less from the religious institutions, girls school, girls college and Lawful girls hostel.

Explanation.—For the purposes of this rule—

(a) "Educational institution" means any pre-primary, primary or secondary school managed or recognized by any local authority or the State Government or the Central Government and any college affiliated to any University established by law, but does not include any coaching institution.

(b) "Religious institution" means an institution for the promotion of any religion and includes temple, math, mosque, church or other place of public religious worship which is managed or owned by a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 or any other enactment for the time being in force and shall include such other religious institutions as the State Government may by order specify in this behalf.

(c) The distance referred to in sub-rule (2) and sub-rule (3) (b) shall be measured from the mid point of the entrance of the shop along the nearest path by which a pedestrian ordinarily reaches at the,—

(i) Mid-point of the nearest gate of the institution if there is a compund wall and if there is no compound wall then the mid-point of the nearest entrance of the institution, or

(ii) The mid-point of the nearest gate of the Bus stand, Station or depot or Madhya Pradesh State Road Transport Corporation if there is a compound wall and if there is no compound wall then the nearest point of the boundary of such Bus stand, station or depot.

(d) "Bus Stand" means bus stand of MPSRTC or of Municipal Corporation or any other local body as the case may be.

(e) "Hospital" means any hospital or nursing home run by State or Central Government or by any "Charitable Institution" where atleast facilities of 10 Beds are available for admission and treatment of 10 patients.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (16).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-च के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2 पांच (6), दिनांक 27 मार्च, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्येक किस्म की देशी स्पिरिट की पैकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पैट इत्यादि) एवं उपयोगिता के अनुसार (जैसे स्थानीय, निर्यात इत्यादि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180 मिलीलीटर आदि) लेबिलों के पंजीयन हेतु समेकित रूप में, आपूर्ति के प्रत्येक स्रोत के लिये पृथक्-पृथक् पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है :—

अनुक्रमांक (1)	देशी मदिरा के प्रकार (2)	पंजीयन फीस (3)
1.	देशी मदिरा (मसाला) (प्रत्येक फ्लेवर के लिये पृथक्-पृथक्).	रुपये 1,20,000/- (रुपये एक लाख बीस हजार) प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिये.
2.	देशी मदिरा (प्लेन) (सादा अथवा प्रत्येक फ्लेवर के लिये पृथक्-पृथक्).	रुपये 1,20,000/- (रुपये एक लाख बीस हजार) प्रत्येक बॉटलिंग भाण्डागार के लिये.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(16), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V (16).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3-F of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in supersession of this Department's Notification No. F-B-1-01-2017-2-V(6), dated 27th March, 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes for the year 2018-19, the consolidated Label registration fee for each type of country spirit separate for each source of supply, packing material wise (viz Glass, Pet etc.), and usage wise (viz local, export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180 mililiters etc.) as follows :—

S. No. (1)	Type of Country Spirit (2)	Registration Fees (3)
1.	Country Spirit (Masala) (separate for each flavour)	Rs. 1,20,000/- (Rupees one Lac twenty thousand) for each bottling warehouse
2.	Country Spirit (Plain) (separate for plain or each flavour)	Rs. 1,20,000/- (Rupees one Lac twenty thousand) for each bottling warehouse

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (17).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच (7) दिनांक 27 मार्च, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वर्ष 2018-19 के लिये एफ. एल.-9, एफ. एल.9-क, बी-3 एवं बी-3 के एफ. एल.-9-क लायसेंसों के अधीन विनिर्मित एवं एफ. एल.-10-क व एफ. एल-10-ख लायसेंस के अधीन आयात कर संग्रह की जाने वाली विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) की पैंकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पैट, केन इत्यादि), उपयोगिता अनुसार (जैसे स्थानीय, मिलिट्री, निर्यात इत्यादि) और पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180, 90, 60 मिलीलीटर इत्यादि) पर समेकित रूप में, लेकिन आपूर्ति के प्रत्येक स्त्रोत के लिये प्रतिलेवल वार्षिक पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है:—

अनुक्रमांक (1)	मद (2)	वर्ष 2018-19 (3)
1	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल.-9 लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 2,75,000/-
2	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ.एल.-9-क लायसेंस अन्तर्गत (प्रत्येक फ्रेन्चाईजी/सबलीजी अनुबंध में)	रुपये 5,50,000/-
3	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल.-10-क लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 3,30,000/-

(1)	(2)	(3)
4	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ. एल.-10-ख लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 1,10,000/-
5	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3 लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 2,20,000/-
6	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3/9-क लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 2,20,000/-
7	विदेशी मदिरा (बीयर) एफ. एल.-10-क लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 2,20,000/-
8	विदेशी मदिरा (बीयर) एफ. एल.-10-ख लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 1,10,000/-
9	विदेशी मदिरा (वाईन) एफ. एल.-10-क एवं एफ. एल. 10-ख लायसेंस अन्तर्गत	रुपये 11,000/-
10	विदेशी मदिरा (वाईन बी-3 लायसेंस के अन्तर्गत) मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्मित वाईन हेतु.	रुपये 1,100/-
11	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (स्पिरिट) प्रदाय किए जाने हेतु.	रुपये 1,10,000/-
12	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (बीयर) प्रदाय किए जाने हेतु.	रुपये 1,10,000/-
13	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (वाईन) प्रदाय किए जाने हेतु.	रुपये 11,000/-
14	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) के अन्य किसी देश को निर्यात किए जाने हेतु प्रति लेबल.	रुपये 55,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(17), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(17).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) and (3) of Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's Notification No.-F-B-1-01-2017-2-V-(7), dated 27th March, 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes, for the year 2018-19, for Foreign Liquor (spirit, beer and wine) manufactured under FL-9, FL-9-A, B-3 and FL-9-A of B-3 licences, which is imported and stored under FL-10-A and FL-10-B licences, per label, the consolidated annual label registration fee separate but for each source of supply, packing material wise (viz Glass, Pet, Can etc.), as per usage (viz local, export, military etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180, 90, 60 mililiters etc.), as follows:—

S. No. (1)	Item (2)	Year 2018-19 (3)
1	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9 Licence	Rs. 2,75,000/-
2	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9-A Licence (Under each frenchisee/sub leassee agreement)	Rs. 5,50,000/-
3	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-10-A Licence	Rs. 3,30,000/-
4	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-10-B Licence	Rs. 1,10,000/-
5	Foreign Liquor (Beer) Under B-3 Licence	Rs. 2,20,000/-
6	Foreign Liquor (Beer) Under B-3/9-A Licence	Rs. 2,20,000/-
7	Foreign Liquor (Beer) Under FL-10-A Licence	Rs. 2,20,000/-
8	Foreign Liquor (Beer) Under FL-10-B Licence	Rs. 1,10,000/-
9	Foreign Liquor (Wine) Under FL-10-A & FL-10-B Licence	Rs. 11,000/-
10	Foreign Liquor (Wine Under B-3 Licence) for wine manufactured in Madhya Pradesh from grapes cultivated in Madhya Pradesh.	Rs. 1,100/-
11	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Spirit) to CSD./Paramilitary.	Rs. 1,10,000/-
12	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Beer) to CSD./Paramilitary.	Rs. 1,10,000/-
13	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Wine) to CSD./Paramilitary.	Rs. 11,000/-
14	Foreign Liquor (Spirit, Beer & Wine) Exported to any other Country each Lable.	Rs. 55,000/-

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(18).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-44-2015-2-पांच (03), दिनांक 2 जनवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में फ्रेंचाईसी पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उपभोग हेतु विनिर्मित विदेशी मदिरा (बीयर) पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 15/- प्रति बल्क लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(18), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(18).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-44-2015-2-V(3), dated 2nd January, 2016, the State Government, hereby, prescribes the Bottling fee at the rate of Rs. 15/- per bulk litre on Foreign Liquor (beer) manufactured for consumption in the State of Madhya Pradesh by manufacturers of National status under franchisee or any other system.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(19).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-44-2015-2-पांच (05), दिनांक 2 जनवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में फ्रेंचाईसी पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उपभोग हेतु विनिर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट) पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(19), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-44-2015-2-V(05), dated 2nd January, 2016, the State Government, hereby, prescribes Bottling fee Rs. 30/- per proof litre on Foreign Liquor (spirit) manufactured for consumption in the State of Madhya Pradesh by manufacturers of National status under franchisee or any other system.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(20).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियम के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-44-2015-2-पांच (07), दिनांक 2 जनवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के प्रयोजन के लिए, उनके स्वयं के ब्रांड की विदेशी मदिरा (बीयर) के विनिर्माण पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 3/- प्रति बल्क लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(20), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-44-2015-2-V(07), dated 2nd January, 2016, the State Government, hereby, prescribes the Bottling fee of Rs. 3/- per Bulk litre on Foreign Liquor (Beer) manufactured by local Foreign Liquor (Beer) manufacturers of their own brands for purpose of sale in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (21).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 28 की उपधारा (1) और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (13), द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-44-2015-2-पांच (08), दिनांक 2 जनवरी, 2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के प्रयोजन के लिए, उनके स्वयं के ब्रांड की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट) के विनिर्माण पर बोतल भराई (बॉटलिंग) फीस रुपये 6/- प्रति प्रूफ लीटर विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(21), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(21).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (13) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this department's Notification No. F-B-1-44-2015-2-V,(08), dated 2nd January, 2016, the State Government, hereby, prescribes the bottling fee Rs. 6/- per proof litre on Foreign Liquor (spirit) manufactured by local Foreign Liquor (spirit) manufacturers of their own brands for purpose of sale in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (22).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 15 तथा 18 के उपनियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (34) बी-1-12-06-2-पांच, दिनांक 06 जुलाई, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

(एक) जहां-कहीं भी शब्द "रेक्टीफाइड स्प्रिट" आया हो, के स्थान पर, शब्द "एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल" स्थापित किया जाए.

(दो) अनुक्रमांक 2 (दो) में अक्षर और अंक एवं शब्द रुपए "50.00 प्रति परमिट" के स्थान पर, अक्षर और अंक रुपए "1.00 प्रति बल्क लीटर" स्थापित किया जाए.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(22), दिनांक 31 मार्च, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(22).—In exercise of the powers conferred by Rule 15 and sub-rule (13) of rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government, hereby, makes the following amendment in the department's Notification No. (34) B-1-12-06-2-V, dated 6th July, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification,—

(i) For the word "Rectified Spirit" where ever it occurs, the word "Extra Neutral alcohol" shall be substituted.

(ii) In serial number 2 (ii) for the letter and figure "Rs. 50.00 per permit" the letter and figure "Rs. 1.00 per bulk litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.